भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4435
जिसका उत्तर मंगलवार 08 जनवरी, 2019 को दिया जाना है

पेपर मिलों का पुनरुद्धार

4435. कुमारी सुष्मिता देव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की कछार पेपर मिल और नागांव पेपर मिल के पुनरूद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके लंबन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पर एचपीसीएल कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों का बकाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने के लिए कोई वित्तीय पैकेज देने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (च): हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन के दो सयंत्र अर्थात कछार पेपर मिल और नागांव पेपर मिल हैं, जो वर्तमान में परिचालन में नहीं हैं। नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा इन्सोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड़ (आईबीसी) 2016 के तहत कम्पनी के विरुद्ध कॉपोरेट इन्सोल्वेंसी रिसोल्यूशन कार्यवाही के आदेश दिए गए। आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार, एचपीसीएल के लिए एक संकल्प पेशेवर (रिजोलूशन प्रोफेशनल) और लेनदारों की एक समिति को नियुक्त किया गया है।

*****